

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 अप्रैल 2020 — चैत्र 24, शक 1942

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 13 अप्रैल 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-40/2020/वा.क.(आब.)/पांच(56). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) तथा सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप-नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

1. उक्त नियमों में :-

- (1) प्रारूप एफ.एल.4क (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 1 के पश्चात् नवीन शर्त 1(क), 1(ख), 1(ग) अतःस्थापित किया जावे अर्थात् :-

“1(क) स्प्रिट या माल्ट मदिरा की न्यूनतम मात्रा, जो एफ.एल.-1(घघ) अथवा एफ.एल.-1 (घघ-कम्पोजिट) अनुज्ञप्तिधारक से विक्रय के लिये लाई जाएगी, निम्नानुसार नियत की जाती है :-

वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा — स्प्रिट — क्वार्टर बोतल
माल्ट — क्वार्टर बोतल

न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा स्प्रिट/माल्ट (बोतल में) की माहवार निर्धारित मात्रा

स. क्र.	माह का नाम	माह हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा			
		विदेशी मदिरा (स्प्रिट)		विदेशी मदिरा (बीयर)	
1	2	3		4	
1	अप्रैल	वार्षिक मात्रा का 9%		वार्षिक मात्रा का 15%	
2	मई	वार्षिक मात्रा का 10%		वार्षिक मात्रा का 15%	

3	जून	वार्षिक मात्रा का 9%		वार्षिक मात्रा का 13%	
4	जुलाई	वार्षिक मात्रा का 7%		वार्षिक मात्रा का 6%	
5	अगस्त	वार्षिक मात्रा का 7%		वार्षिक मात्रा का 6%	
6	सितम्बर	वार्षिक मात्रा का 7%		वार्षिक मात्रा का 6%	
7	अक्टूबर	वार्षिक मात्रा का 8%		वार्षिक मात्रा का 6%	
8	नवम्बर	वार्षिक मात्रा का 8%		वार्षिक मात्रा का 5%	
9	दिसम्बर	वार्षिक मात्रा का 9%		वार्षिक मात्रा का 5%	
10	जनवरी	वार्षिक मात्रा का 9%		वार्षिक मात्रा का 6%	
11	फरवरी	वार्षिक मात्रा का 9%		वार्षिक मात्रा का 9%	
12	मार्च	वार्षिक मात्रा का 8%		वार्षिक मात्रा का 8%	

“1(ख) एफ.एल.-4(क) के लिये उपरोक्तानुसार माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठाव अनिवार्य होगा। माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उठाव की विफलता पर स्प्रीट की प्रति क्वार्ट बोतल पर रुपये 660/- एवं माल्ट मदिरा की प्रति क्वार्ट बोतल पर रुपये 100/- की दर से शास्ति आरोपण होगा, जो कि वापसी योग्य नहीं होगी।”

“1(ग) वर्ष 2020-21 में क्लब में बिकने वाली मदिरा की बोतल पर संबंधित विदेशी मदिरा इकाई द्वारा लगाया गया होलोग्राम के अतिरिक्त विदेशी मदिरा एफ.एल.-4(क) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रदाय किये जाने वाले मदिरा के बोतलों पर होलोग्राम लगाया जावेगा। होलोग्राम का कलर आरेंज रंग का होगा। होलोग्राम का निर्धारित मूल्य अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोशालय में जमा कर संबंधित जिले के आबकारी कार्यालय से होलोग्राम का प्रदाय लेकर प्रतिदिन निर्धारित पंजी में दैनिक हिसाब आमद, उपयोग और बचत होलोग्राम का लेखा रखेगा।”

- (2) प्रारूप एफ.एल.4क (व्यवसायिक क्लब अनुज्ञप्ति) की शर्त क्रमांक 5 के पश्चात् नवीन शर्त 5(क) अतःस्थापित किया जावे अर्थात् :-

“5(क) इस अनुज्ञप्त परिसर में केवल एक स्कंध रूम (स्टाक रूम) तथा मदिरा परोसने का एक ही काउन्टर के संचालन की अनुमति रहेगी।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हुई समझी जाएगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 13 अप्रैल 2020

क्रमांक एफ 10-40/2020/वा.क.(आब.)/पांच(56). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-40/2020/वा.क.(आब.)/पांच(56), दिनांक 13-04-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 13th April 2020

NOTIFICATION

No. F 10-40/2020/CT(EX)/V(56). — In exercise of the powers conferred under proviso of sub-section (3) and (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) along with sub-rule (13) of rule 18 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rule, 1996, the State Government hereby does more amendment in Chhattisgarh Foreign Liquor Rules, 1996, i.e.:-

AMENDMENT

1. In the above rules :-

- (1) New conditions 1(a), 1(b), and 1 (c) to be added after condition number 1 of form F.L.4(a) (Commercial Club License), i.e.:-

“1(a) Minimum quantity of Spirit and Malt Liquor, which has to be purchased from F.L.1(DD) or F.L. 1(DD-Composite) for sale, be fixed as follows :-

Annual Minimum Guaranteed Quantity – Spirit - Quart Bottles
Malt - Quart Bottles

Month-wise Guaranteed Quantity of Minimum Guaranteed Quantity of Spirit/Malt (in Bottles)

S. No.	Month	Minimum Guaranteed Quantity for the m			
		Foreign Liquor (Spirit)		Foreign Liquor (Malt)	
1	2	3		4	
1	April	9% of Annual Quantity		15% of Annual Quantity	
2	May	10% of Annual Quantity		15% of Annual Quantity	
3	June	9% of Annual Quantity		13% of Annual Quantity	
4	July	7% of Annual Quantity		6% of Annual Quantity	
5	August	7% of Annual Quantity		6% of Annual Quantity	
6	September	7% of Annual Quantity		6% of Annual Quantity	
7	October	8% of Annual Quantity		6% of Annual Quantity	
8	November	8% of Annual Quantity		5% of Annual Quantity	
9	December	9% of Annual Quantity		5% of Annual Quantity	
10	January	9% of Annual Quantity		6% of Annual Quantity	
11	February	9% of Annual Quantity		9% of Annual Quantity	
12	March	8% of Annual Quantity		8% of Annual Quantity	

“1(b) It would be compulsory for the F.L.4(a) Licensee to lift month wise minimum guaranteed quantity as above . In case of failure of lifting of monthwise minimum guaranteed quantity a penalty at the rate of Rs. 660/- per quart bottle of Spirit and of Rs. 100/- per quart bottle of malt, shall be imposed, which would not be refundable.”

“1(c) A separate hologram shall be affixed on each bottle to be issued to F.L.4(a) Licensee apart from the regular hologram fixed by the foreign Liquor supplier. The colour of the hologram shall be orange. The licensee shall get the hologram from the Excise Office of the District, after depositing the prescribed rate of the hologram in the treasury and shall maintain the daily account of receipt, used and balance holograms in the prescribed register.”

- (2) A new condition 5(a) to be added after the condition 5 of form F.L.4(a) (commercial club license) i.e. :-

“5(a) only one stock room and only one counter shall be permissible within the licensed premises.”

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April 2020.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.